



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228873
CG-DL-E-10082021-228873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943

No. 327]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SRAVANA 19, 1943

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

सं. एल-1/257/2020/केविआ.—जबकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III, खंड 4, संख्या 241) में दिनांक 16.06.2021 को प्रकाशित किया गया था,

जबकि, उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में यह उपबंध करना कि विनियम आयोग द्वारा पृथक् रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे,

और, अब, अत एव, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 दिनांक 15.08.2021 से प्रवृत्त होंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./191/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2021

No. L-1/257/2020/CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 was, on 16.6.2021, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section 4, No. 241).

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force from the date to be notified separately by the Commission.

And, now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 shall come into force with effect from 15.08.2021.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./191/2021-22]